राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांकः– F 7(1) आं. का./सहा. का. प्र./प्रशिक्षण/ICDS/17/ 27050 जयपुर दिनांक 8-2-19

कार्यालय आदेश

निदेशालय से जारी आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पुनश्चर्या प्रशिक्षण आदेश क्रमांक 5693 दिनांक 09.01.2019 द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 21.01.19 से 22.02.19 तक आवंटित किये गये थे। आदेश मे आंशिक संशोधन कर दिनांक 18.02.19 से 22.02.19 तक आंगनबाडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र आर्य विद्यापीठ, भुसावर (भरतपुर), मीरा संस्थान, अरिहंत नगर, रामपुरा रोड, SDM कोर्ट के पीछे, रोहट (पाली), राजस्थान महिला विद्यालय, उदयपुर, के लिये पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम निरस्त कर दिनांक 18.02.19 से 26.02.19 तक बांसवाड़ा, सिरोही, प्रतापगढ़, उदयपुर, पाली, जालौर, जोधपुर, जैसलमेर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधौपुर हेतु आंगनबाडी सहायिकाओं का कार्य (ओरियेन्टेशन) प्रशिक्षण सत्र आवंटित किया जाता हैं। शेष कार्यक्रम यथावत् रहेगा। इस संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें :–

1. गर्भवती एवं 6 माह के बच्चे की माता को प्रशिक्षण में नामांकित नही किया जावे।
2. प्रशिक्षणार्थी सहायिकाओं के साथ 6 माह से 3 वर्ष तक का बच्चा साथ होगा तो प्रति बच्चा प्रतिदिन रू. 20/– आवास भोजन हेतु संस्था में जमा कराने होंगे। यदि साथ में महिला अटेन्डेन्ट हो तो रू. 150/– प्रति व्यक्ति के हिसाब से संस्था में जमा कराने होंगे। पुरूष अटेन्डेन्ट संस्था में नहीं रह सकेगे।
3. उन्हीं आंगनबाडी सहायिकाओं को कार्य प्रशिक्षण में भेजें। जिन्होंने पूर्व में कार्य प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हो।
4. आंगनबाडी सहायिकाओं को यात्रा भत्ता (TA) का भुगतान आंगनबाडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र पर ही किया जावेगा।
5. आंगनबाडी सहायिकाओं के आवास एवं भोजन की व्यवस्था आंगनबाडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र पर ही उपलब्ध होगी।
6. सभी आंगनबाड़ी सहायिका अपना परिचय–पत्र/पहचान पत्र (आधार कार्ड की प्रतिलिपि) साथ लेकर जावें तथा प्रशिक्षण में सम्मिलित नही होने पर उनको हटाने के लिये कार्यवाही की जावेगी।
7. सम्बन्धित उप निदेशक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र को परियोजनावार नामांकन सूचना सम्बन्धित आदेश प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ होने के न्यूनतम पांच दिवस पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. सम्बन्धित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, प्रशिक्षण संबंधी आदेश प्राप्त न होने की स्थिति में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ होने से न्यूनतम 2 दिवस पूर्व उपनिदेशक कार्यालय एवं निदेशालय सूचना देवें, ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रम में मानदेय कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकें।

7-2-19

उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः– F 7(1) आं. का./सहा. का. प्र./प्रशिक्षण/ICDS/17/ 27051–066 जयपुर दिनांक 8-2-19

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संबंधित उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
2. प्राचार्य, आंगनबाडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र संबंधित।

7-2-19

उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ, विभागीय वैबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in
फैक्स नम्बर 0141–2700281, 2705638 दूरभाष नम्बर 0141–2713639
प्रशिक्षण शाखा ईमेल–आईडीः– ddt.icds@gmail.com

आंगनबाड़ी सहायिकाओं का कार्य (ओरियेन्टेशन) प्रशिक्षण हेतु नामांकन
दिनांक 18.02.2019 से 26.02.2019

क्र. सं.	आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	दिनांक	जिला का नाम	AWH	नामांकन संख्या
1.	आर्य विद्यापीठ, भुसावर (भरतपुर) P.N- 9982063847	18.02.19 से 26.02.19	अलवर – 15 धौलपुर – 15 करौली – 10 सवाईमधोपुर – 10	AWH	50
2.	मीरा संस्थान, अरिहंत नगर, रामपुरा रोड, SDM कोर्ट के पीछे, रोहट (पाली) P.N- 9462587970	18.02.19 से 26.02.19	पाली – 20 जालौर – 10 जोधपुर – 10 जैसलमेर – 10	AWH	50
3.	राजस्थान महिला विद्यालय, उदयपुर P.N- 9413024582	18.02.19 से 26.02.19	बांसवाडा – 15 सिरोही – 15 प्रतापगढ़ – 15 उदयपुर – 05	AWH	50